धौलपुर (राज०)

27-8-19	वकील अपपक्ष उपस्थित। मूल वाद वादीया द्वारा विड्रा (वापिस) किये जाने के कारण खारिज फरमाया जा चुका है। जिस कारण प्रार्थना-पत्र 2.12 RTA सारहीन हो जाता है अतः प्रार्थना-पत्र सारहीन हो जाने के कारण खारिज फरमाया जाता है तथा इसमें प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जाती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर मुख्य
धौलपुर (राज०)